न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	संजय / हरिराम
19/11/20	प्रस्तुतकर्ता को प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों पेश हुए। प्रतिवादिगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अवमान वाद खारिज करने कहा है। इसलिए पुनर्विचार पत्र भी स्वीकार किया जाता है। पक्षकारों को सुलह द्वारा निपटारा नहीं करने से वाद लम्बित रहे तथा वाद सक्षम न्यायालय में वापस हो।
सुनील शर्मा	
संजय	
अनिता	
[illegible]	उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:07:51 IST
Reason: SelfAttested